न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 660 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हरजीराम पुत्र पेमाराम जाति मेगवाल निवासी हरूपाणी भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर।		1 केसाराराम 2 मंगलाराम 3 रेखाराम 4 सवाईलाल पिसरान ताराराम 5 लाभूराम पुत्र पेमाराम जाति मेगवाल निवासी हरूपाणी भीमडा तहसील बाटाडू जिला बाडमेर 6 शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा 7 शाखा प्रबन्धक बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा 8 तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :–

1. श्री सुनिल बीएल रामावत प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 05/05/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हरूपोणी पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 682 रकबा 0.9304 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की आई हुई है। प्रार्थी की जोत में जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के खेत मौजा हरूपोणी पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 685 रकबा 11.6496 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शा में बरंग लाल रंग से प्रदर्शित 15 फीट का नया एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थी के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता घोषित किया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत से आम रास्ते पर जाने वाले सड़क मार्ग पर आसानी पूर्वक प्रार्थी, अप्रार्थीगण के खेत के आगे चल रहे सरकारी मार्ग पर आवागमन हेतू पहुंच सकें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाटाडू से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार बाटाडू के पत्रांक राजस्व [illegible]/130 दिनांक 19.03.2025 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि मौजा हरूपाणी पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 682 रकबा 0.9304 हैक्टेयर भूमि से डामर सड़क तक आने–जाने हेतू न्यूनतम दूरी के मार्ग हेतू मौका व रेकर्ड की [illegible] खातेदारों की उपस्थिति में तैयार की गई है, खसरा संख्या 682 में पहुचने हेतु खसरा संख्या 685 के अन्दर से गुजर रही डामर सड़क से 55 गट्ठा यानि 112 मीटर x 3 गठ्ठा यानि रकबा 0.08 बीघा यानि 0.0647 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में सबसे निकटतम आवागमन हेतु भूमि उपलब्ध है जो डामर सड़क बाटाडू रोड से हुकमाणियों की ढाणी

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर

सड़क से आवागमन हेतु सबसे निकटतम स्थल है। जिसकी डलएलसी दर 201613 प्रति बीघा है जिसकी दुगुनी राशि रूपये 161296 रूपये बनती है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्थान सरकार	685	0.0647	112 गुणा 5.78	0.0647	161296 / –
2	केसराराम पूत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार बा.स. भूमि वि. बैंक शाखा बालोतरा मंगलाराम पुत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार रेखाराम पुत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा सवाईराम पुत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार	685	11.5849	–	–	–

तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाटाडू द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उसे स्वीकार है तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया। तहसीलदार बाटाडू से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता [illegible] में पहुंचने हेतु खसरा संख्या 685 के अन्दर से गुजर रही डामर सड़क से [illegible] मीटर x 3 गठ्ठा यानि रकबा 0.08 बीघा यानि 0.0647 हैक्टेयर भूमि रास्ते के रूप में सबसे निकटतम आवागमन हेतु भूमि उपलब्ध है जो डामर सड़क [illegible] बाटाडू रोड से हुकमाणियों की ढाणी सड़क से आवागमन हेतु सबसे निकटतम स्थल है, उक्त प्रस्तावित जगह निकटतम दूरी का व उपयुक्त रास्ता है, जो संलग्न नक्शा में बंरग "लाल" से प्रदर्शित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251–क के तहत "प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ठ रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है'' जो तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रस्तावित रास्ता डामर रोड के नजदीक है, दूसरे रास्ते का कोई विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा हरूपोणी पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 682 रकबा 0.9304 हैक्टेयर भूमि में पहुँचने हेतु निम्नानुसार रास्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई / चौड़ाई (मीटर में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा (हैक्टेयर में)	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्थान सरकार	685	0.0647	112 गुणा 5.78	0.0647	161296/–
2	केसराराम पूत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार बा.स. भूमि वि. बैंक शाखा बालोतरा मंगलाराम पुत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार रेखाराम पुत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार बालोतरा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा सवाईराम पुत्र ताराराम हिस्सा 1/4 जाति भांभी सा. देह खातेदार	685	11.5849	–	–	–

तहसीलदार बाटाडू को उक्त प्रस्तावित मार्ग अनुसार डीएलसी दर 201613/– प्रति बीघा है जिसकी दुगुनी राशि रूपये 161296/– रूपये के प्रार्थी बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाटाडू राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा सम्बन्धित खातेदारान को नियमानुसार भुगतान करवाने तथा सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 18.02.20.. प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुनाई फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:26:44 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 05/05/2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर